By Akhilesh Kumar (GT Assist. Professor)
JK college Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR (Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework

Unit-4 Indian companies Act, 1956 Lecture -4 Date 18-07-2020

Easy To Understand the concept

प्रश्न .कम्पनी के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Describe in brief the various types of a company.

उत्तर- कम्पनियों का वर्गीकरण (Classification of Companies)

कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित दृष्टिकोणों से किया जा सकता है :

I. समामेलन के आधार पर-इस आधार पर तीन प्रकार की कम्पनियाँ हो सकती हैं :

1. शाही राजाज्ञा द्वारा स्थापित कम्पनियाँ,

2. संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कम्पनियाँ। तथा

3. पंजीकृत कम्पनियाँ।

II. दायित्व के आधार पर- इस आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार की कम्पनियाँ हो सकती हैं :

1 सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ, तथा

2.असीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ।

III. निर्माण की प्रकृति के आधार पर- डर लिए निम्नलिखित पाँच प्रकार की कम्पनियाँ हो सकती है :

1.निजी कम्पनी,

2. सार्वजनिक कम्पनी,

3. सरकारी कम्पनी,

4. विदेशी कम्पनी,

5. सूत्रधार एवं सहायक कम्पनी।

- **समामेलन के आधार पर वर्गीकरण :**

1. **शाही अथवा राजाज्ञा द्वारा स्थापित कम्पनी (Companies Incorporated by Royal Charter)- कम्पनियाँ हैं, जिनका समामेलन शाही आज्ञापत्र के द्वारा कि जिस जाता है। इनका निर्माण कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसी कम्पनियों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण भी सम आज्ञापत्र द्वारा ही किया जाता है। इस पर कम्पनी अधिनियमकं कम धाराएँ लागू नहीं होती। भारत में ऐसी कम्पनियाँ अब देखने । नहीं आती हैं।**

2. संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कम्पनियाँ है(Companies formed by a Special Act of Parliament). संसद विशेष अधिनियम पारित करके कम्पनियों का निर्माण कर सकती है। इन कम्पनियों को वैधानिक कम्पनियाँ (Statutory Companies) कहते हैं।

ये कम्पनियाँ ऐसे उद्योग तथा व्यापार के क संचालन के लिए स्थापित की जाती है, जो राष्ट्र के लिए महत्त्वपूर्ण हों। इन कम्पनियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे-इन कम्पनियों के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, परन्तु । इन्हें अपने नाम के साथ 'लिमिटेड' शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है।

भारत में ऐसी कम्पनियाँ I.F.C.I., Reserve Bank India, State Financial Corp., State Bank of India तथा जीवन बीमा निगम आदि हैं।

II. दायित्व के आधार पर वर्गीकरण

कम्पनियों के दायित्व के आधार पर कम्पनियाँ निम्न प्रकार की होती हैं :

1. सीमित कम्पनियाँ (Limited Companies)- सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ निम्न प्रकार की होती हैं :

(i) अंशों द्वारा सीमित कम्पनियाँ (Companies Limited by Shares)- ऐसी कम्पनी अपनी पूँजी को कुछ निश्चित राशि के अंशों में बांट देती है और प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उसके अंश के अंकित मूल्य तक सीमित रहता है। उदाहरण के लिए, या 10 रु. के 10 अंश हैं, तो कम्पनी के ऋण के उतरदायित्व कुल 100 रु. होगा, इससे अधिक नहीं।

(ii) गारंटी द्वारा सीमित देयता वाली कम्पनियाँ limited by Guarantee)-इन कम्पनियों के सदस्य की गारण्टी देते हैं कि यदि कम्पनी का समापन उनके यता काल में अथवा सदस्यता छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर हो जाता है, तो कम्पनी के दिवालिया हो जाने की स्थिति में ये एक पर्व-निश्चित राशि तक का भुगतान करेंगे। सदस्यों द्वारा दी जाने दी अतिरिक्त राशि अर्थात् गारण्टी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया जाता है।

2. असीमित कम्पनियाँ (Unlimited Companies)- इन कम्पनियों के सदस्यों की देयता उसी प्रकार असीमित होती है, जिस प्रकार साझेदारी फर्म या एकाकी व्यापार में। इन कम्पनियों

में व्यावसायिक ऋणों का भुगतान करने हेतु सदस्यों की व्यक्तिगत सम्पत्तियाँ भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ये प्राइवेट या पब्लिक कम्पनियों हो सकती हैं।

III. निर्माण की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण

इस आधार पर कम्पनियाँ निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है :

1.निजी कम्पनी (Private Company)- कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 307 के अनुसार निजी कम्पनी वह है, जिसकी प्रदत्त पूंजी (Paid-up Capital) कम-से-कम एक लाख रुपए या इससे अधिक निर्धारित की गई। राशि की है और जो अपने अन्तर्नियमों द्वारा अपने अंशों (यदि कोई हो) के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाती है;
(वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर अपने सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित रखती है; तथा अपने अंशों तथा ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण देने का निषेध करती है।

2. सार्वजनिक कम्पनी (Public Company)- कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित धारा के अनुसार सार्वजनिक कम्पनी का आशय एक ऐसी कम्पनी से है,

(क) एक निजी कम्पनी नहीं है।

(ख) कम-से-कम 5 लाख रुपए की प्रदत्त पूँजी या इससे अधिक निर्धारित की गई राशि की प्रदत्त पूँजी रखती है;

(ग) ऐसी निजी कम्पनी है, जो ऐसी कम्पनी की सहायक (Subsidiary) है, जो निजी कम्पनी नहीं है अर्थात् जो एक सार्वजनिक कम्पनी की सहायक निजी कम्पनी है।

उपयुक्त परिभाषा के उप वाक्य का विस्तार करते हुए । हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक कम्पनी वह है जिसके अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है।

(1.) जिसके अंशधारियों की संख्या कम से कम सात तथा अधिक से अधिक निर्गमित किए गए अंशों (Issued and Subscribed Shares) के बराबर हो सकती है।

(2.) जो जनता को अंश खरीदने के लिए आमन्त्रित कर सकती है।

3.सरकारी कम्पनी (Government Company)- सरकारी कम्पनी वह है, जिनकी प्रदत्त अंश पूंजी के कम-से-कम 51 प्रतिशत अंश केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अंशतः केन्द्रीय एवं अंशतः राज्य सरकारों के पास हों।

4. विदेशी कम्पनियाँ (Foreign Companies) कम्पनी अधिनियम की धारा 591 के अनुसार विदेशी कम्पनी से अभिप्राय ऐसी कम्पनी से है, जिसका समामेलन भारत के बाहर हआ है और जो भारत में अपना व्यापार का स्थान स्थापित करती है।

5. सूत्रधारी तथा सहायक कम्पनी (Holding and Subsidiary Company) : यदि किसी कम्पनी के प्रबन्ध एवं संचालन पर किसी अन्य कम्पनी का नियंत्रण है अथवा पहली लार कम्पनी के अधिकांश अंश किसी दूसरी के पास हैं, तो ऐसी दूसरी al) कम्पनी (जिसके पास अंश है) सूत्रधारी कम्पनी (Holding गई Company) कम्पनी कहलाती है तथा पहली कम्पनी सहायक कम्पनी (Subsidiary Company) कहलाती है।